INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP23498442753753V
Certificate Issued Date	:	02-Feb-2023 12:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14148804/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1414880439595736939581V
Purchased by	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Description of Description	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	LAND SIT AT MAUZA SIMARDHA,TEH AND DIST JHANSI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	HARIRAM RAJPOOT SO KHUMAN
Second Party	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Stamp Duty Paid By	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	65,200 (Sixty Five Thousand Two Hundred only)

1205/23

IN-UP23498442753753V

Please write or type below this line

JD 0034769140

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

कार्यालय उप निबन्धक, झाँसी-I
सत्यमेव जयते

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक	–	प्रारूप 4 कं0को0 0334 के अनुसार 84,00,000/– रूपया प्रति हेक्टेयर पेज नं0 105
स्टाम्प का कुल योग	–	65,200/–
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा
विक्रय मूल्य	–	8,50,000/–
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	–	9,30,000/–
मौजा	–	सिमरधा
ब्लॉक	–	बड़ागॉव
मापन की इकाई	–	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	0.1106 हे0
सड़क की स्थिति	–	किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है
पेड़ों का मूल्यांकन	–	कोई पेड़ नही है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य	–	कोई कुआं नही हैं।
प्रथम पक्ष की संख्या	–	एक
द्वितीय पक्ष की संख्या	–	एक (निष्पादक तीन)

हरीराम

आवेदन सं०: 202300860003201

विक्रय पत्र

बही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 1205 | वर्ष: 2023

प्रतिफल- 850000 स्टाम्प शुल्क- 65200 बाजारी मूल्य - 930000 पंजीकरण शुल्क - 9300 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 9360

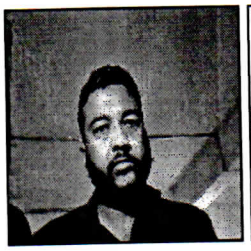

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा
पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री संतोष कुमार साहू
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 91/1, सिविल लाइन झांसी

श्री, पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/02/2023 एवं 12:04:17 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र .
उप निबंधक :सदर प्रथम
झांसी
04/02/2023

अरुण कुमार यादव
निबंधक लिपिक
04/02/2023

प्रिंट करें

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – श्री हरीराम राजपूत पुत्र श्री खुमान निवासी– 5, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी (PAN-CCQPR-9511-K) (जिसकी पहचान सं0 XXXX XXXX 4483 से की गई है मो0नं0 9793321557) (पेशा– कृषि)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष – श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस–01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड, झांसी (PAN-AEQFS-8625-D) द्वारा डायरेक्टर्स

1. श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी– 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 3212 से की गई है मो0नं0 9452230749) (पेशा– व्यापार)

2. श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी– 452/2ए, सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 4694 से की गई है मो0नं0 9415057799) (पेशा– व्यापार)

हरीराम

आवेदन सं०: 202300860003201

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 1205 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री हरीराम राजपूत, पुत्र श्री खुमान

निवासी: 5, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

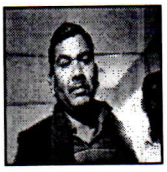

क्रेता: 1

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा पवन कुमार साहू, पुत्र श्री संतोष कुमार साहू

निवासी: 91/1, सिविल लाइन झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा अमन मदान , पुत्र श्री अवतार सिंह

निवासी: 452/2ए, सी०पी०मिशन कम्पाउण्ड झांसी

व्यवसाय: व्यापार

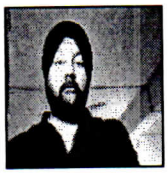

क्रेता: 3

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा शशिकान्त दिवेदी , पुत्र श्री स्व० विशम्भर प्रसाद दिवेदी

निवासी: 1054/2ए, खातीबाबा, मंदिर, ईसाईटोला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री संतोष कुमार राय , पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय

निवासी: कोटखेरा, शहर व जिला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल गौतम , पुत्र श्री राम चरन

निवासी: आर०बी० दितीय 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी झांसी

व्यवसाय: अन्य

3. श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी– 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर, ईसाइटोला, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 0376 से की गई है मो0नं0 9935186919) (पेशा– व्यापार)

सम्पत्ति का विवरण :– अर्द्धनगरीय क्षेत्र की आराजी भूमिधरी वाकै मौजा सिमरधा ब्लॉक बड़ागॉव परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी झॉसी–ग्वालियर रोड से दूर यानि किसी भी सवऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है तथा आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित आराजी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषकीय भूमि है जो असिंचित है विक्रित आराजी में कोई पेड, कुंआ आदि नही है, वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक 29–12–1995ई0 श्रीमती मीरा मित्तल पत्नी श्री लक्ष्मीरमण मित्तल से खरीद किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झॉसी में फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 1458 के पृष्ठ 285/308 पर क्रम संख्या 6104 दिनांक 29–12–1995ई0 दर्ज है। विक्रित आराजी में उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है। दस्तावेज हाजा में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना

हरीरम

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र .
उप निबंधक : सदर प्रथम
झांसी
04/02/2023

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अरूण कुमार यादव
निबंधक लिपिक झांसी
04/02/2023

प्रिंट करें

आदेश संख्या सं0वि0क0नि0 –5–2756/11–2008– दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार पुरूष द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 9,30,000/– पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकवा
00340	273	0.332 हे0

कुल 1 किता रकवा 0.332 हे0 का 1/3 भाग यानि रकवा 0.1106 हे0 यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। विक्रित आराजी की सम्पूर्ण चौहद्दी – पूरब – आराजी नं0 274, पश्चिम – आराजी नं0 270, उत्तर– आराजी नं0 260 व 261, दक्षिण – आराजी नं0 272 है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नही है।

विक्रय मूल्य – **8,50,000/– आठ लाख पचास हजार रूपया जरिये चैक नं0 000274 कोटेक महिन्द्र बैंक दिनांक 03.02.2023ई0 पूर्व प्राप्त कर लिया है।**

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } – **9,30,000/– नौ लाख तीस हजार रूपया से अधिक नहीं हैं।**

हरीराम

कार्यालय उप निबन्धक, झाँसी-I - झाँसी जिला

सत्यमेव जयते

Sub Registrar JHANSI I JHANSI (U.P.)

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि मुझ विक्रेता को रूपयों की जरूरत है। अतः मैं विक्रेता उक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय व फरोख्त करता हूँ। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स मिलकीयत की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य पूरे–पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी बैंक या विभाग में बंधक है। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

मुकरर्र यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु0 65,200/– रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP23498442753753V स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

हरीराम

सत्यमेव जयते

Sub Registrar, JHANSI-I, JHANSI (U.P.)

नक्शा –नजरी

बिक्रेता का नाम श्री हरीराम राजपूत

क्रेता का नाम श्री पीतम सिंह इन्फ्रासिटी एल०एल०पी०

मौजा सिमरधा

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर - २६३

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

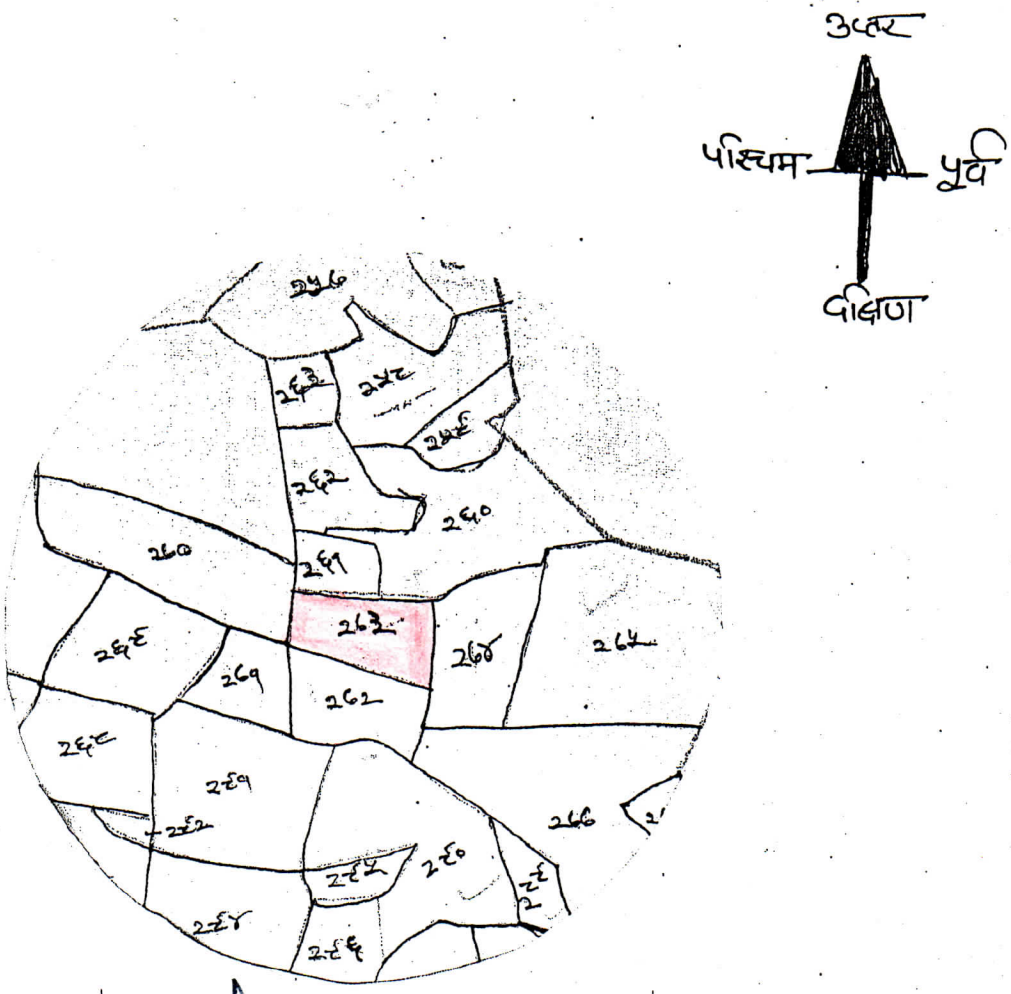

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

MOHD. SALMAN KHAN
CITRESI, 19 ALI GOLE
AUTH. O/MAN (CIVIL)
J.D.A., JHANSI
L. No. 0 ..... DATE 01/12/2023
MOB No.-8299880065

सत्यमेव जयते

Sub Registrar, JHANSI-I, JHANSI (U.P.)

एक किता
स्थित
नाम विक्रेता
नाम क्रेता
चौहादी
पूर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

विक्रेता क्रेता

स्टूडिया
119, अलीगोल · झाँसी
M 941558883

सत्यमेव जयते

Sub Registrar, JHANSI (U.P.)

गवाह (1) – श्री संतोष कुमार राय पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय निवासी– कोटखेरा, शहर व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 1499 से की गई है मो0नं0 9452591525 (पेशा– व्यापार)

गवाह (2) – श्री अनिल गौतम पुत्र श्री राम चरन निवासी– आर0बी0 द्वितीय 508–बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7849 से की गई है। मो0नं0 7007198185 (पेशा– प्राईवेट नौकरी)

दिनांक – 02–02–2023ई0

प्रारूपकर्ता – राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झाँसी

अनुज्ञप्ति सं0 1/2010–11 मो0नं0 9415401278

टाईपकर्ता – दीपक सिंह

राजेश कुमार सिंह
दस्तावेज लेखक तह0–झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या 1 वर्ष 2010/20,
लिया गया शुल्क
वैधता वर्ष 2020 से 2022

गवाह (1)

श्री संतोष कुमार राय
पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय
निवासी- कोटखेरा, शहर
व जिला झाँसी

गवाह (2)

श्री अनिल गौतम S/o
श्री रामचरन
निवासी- आर० बी० द्वितीय
508, बी- रानी लक्ष्मी नगर
रेलवे कॉलोनी, झांसी

आवेदन सं०: 202300860003201

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10131 के पृष्ठ 57 से 74 तक क्रमांक 1205 पर दिनाँक 04/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र .
उप निबंधक : सदर प्रथम
झांसी
04/02/2023

प्रिंट करें

कार्यालय उप निबन्धक, झाँसी-I -झाँसी (उ०प्र०) ★ Sub Registrar, JHANSI-I (U.P.) ★ सत्यमेव जयते

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बड़ागांव
मण्डल :झांसी , जनपद :झांसी , तहसील :झांसी
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202306370102465
वाद संख्या:- 2465/2023
पवन बनाम हरीराम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 25/03/2023

न्यायालय नायव तहसीलदार बडागांव
बाद सं0-704/2023 मौजा-सिमरधा तहसील व जिला झॉसी।
निर्णय
प्रस्तुत वाद उपनिवन्धक कार्यलय की हस्तान्तरण आख्या के आधार पर योजित हुआ। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो ग्राम में मुश्तहरी मुनादी तामील वापिस हुआ। कोई आपत्ति नही आई। वादी द्वारा साक्ष्य में वैनामा संख्या 1205 दिनांक 04-02-2023 स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। लेखपाल ग्राम की आख्या प्राप्त हुई। लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा कि क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। विक्रीत भूमि संक्रमणीय भूमि धर है। भूमि सीलिग की नही है। ग्राम में चकबन्दी हुई है। विक्रीत भूमि पर क्रेता का कब्जा हो गया है। क्रेता के पास क्रय की गई भूमि को शामिल करते हुए 18.75 एकड से अधिक भूमि नही है।
मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सम्यक अध्ययन किया। वाद निर्विवाद है। अतः साक्ष्यो एंव लेखपाल कि रिपोर्ट के आधार पर क्रेता के हक में नामान्तरण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा-सिमरधा तहसील व जिला झॉसी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता सं 340 के गाटा सं0 273/0.332 हे0 का 1/3 भाग यानि रकवा 0.1106 हे0 अपना सम्पूर्ण वय मालगुजारी 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता- श्री हरीराम पुत्र श्री खुमान निवासी सिमरधा तहसील व जिला झॉसी का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर क्रेता- श्री पीताम्बरा इन्फ्रसिटी एलएलपी पता जीएस-01, विजन हाईट्स के सामने हाउसिगं सोसायटी ओमशान्ति ग्रीन के सामने राजघाट कॉलोनी के पास शिवपुरी रोड झॉसी द्वारा डायरेक्टर श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी 91/1, सिविल लाइन शहर झॉसी व श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिह निवासी 452/2ए, सी0पी0मिशन कम्पाउण्ड शहर व जिला झॉसी व श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर ईसाईटोला शहर व जिला झॉसी नाम जरिये पंजीकृत वैनामा दिनांक 04-02-2023 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नही है। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर की जाये।
(राधा पालीवाल)
दिनांक- नायब तहसीलदार
बडागांव

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"